25/19 IV

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 840735

<u>ट्रस्ट सम्पत्ति</u> – 5,000/–
<u>स्टाम्प शुल्क देय</u> – 760/–
<u>कार्यालय</u> – ग्राम व पोस्ट थौरी परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उ0 प्र0 ।

<u>न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)</u>

यह न्यास विलेख **<u>बाबा उदयराज फाउण्डेशन ट्रस्ट</u>** के नाम सें द्वारा प्रबन्धक ट्रस्टी प्रदीप कुमार मिश्रा पुत्र राजनाथ मिश्रा निवासी ग्राम व पोस्ट थौरी परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जनपद अमेठी 227815 (उ0 प्र0) आज दिन से ट्रस्ट की वर्तमान सम्पत्ति मु0– 5,000/– रूपये देकर उक्त ट्रस्ट की घोषणा करते है वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

गवाह
नगेश कुमार चौबे S/o ... चौबे ग्राम पो० थौरी अमेठी

Pradeep

गवाह
Neeraj kumar
नीरज कुमार S/o. जयप्रकाश ग्राम व पोस्ट थौरी अमेठी

सं0 २५ / ५००। प्रदीप कुमार मिश्रा पु0 राजलाल मिश्रा ग्रा0 बौरी धामा, अमेठी तह0 मु0 खाना जिला अ0।

21-9-19

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला0नं0-8/M/2001
तह0 मुसाफिरखाना, जिला–अमेठी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 882793

<u>ट्रस्ट का नाम</u> :– बाबा उदयराज फाउण्डेशन ट्रस्ट

<u>ट्रस्ट का कार्यालय</u> :– ग्राम व पोस्ट थौरी. परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जनपद अमेठी 227815 (उ0 प्र0) ।

<u>ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र</u> :– सम्पूर्ण भारत वर्ष

<u>ट्रस्ट का उद्देश्य</u> :– यह कि दाता इस विलेख में वर्णित सम्पत्ति न्यास के पक्ष में हस्तान्तरित, अन्तरित और अनुदत्त करता है कि वह उसके नीचे वर्णित न्यास के उद्देश्यों के लिए प्राप्त और धारित करें । ट्रस्ट के द्वारा उसका विनियोग दाता के निर्देशों के अनुसार उक्त उद्देश्यों का कार्यान्वित और पारित करने के लिए किया जाये और दाता एतद्द्वारा सर्वदाकाल के लिए इस विलेख में वर्णित. उक्त सम्पत्ति में (आज दिन पश्चात न्यास की विषय वस्तु कहा जायेगा) अपने हित तथा उनके प्रति किसी दावा का त्याग करता है ।

<u>न्यास के उद्देश्य एवं अधिकार निम्नलिखित है</u> :–

1. शैक्षिक विद्यालय को खोलना, चलाना तथा चालू रखना ।
2. चरित्रवान एवं शुद्व आचरण वाले अध्यापकों, शिक्षकों तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करना, जो शिष्यों व विद्यालय को आधुनिक विज्ञान, औद्योगिक व्यवसाय, बौद्विक एवं अन्य उपयोगी वृत्तियों में दक्ष तथा आधुनिकतम शिक्षण देने के योग्य हो ।

Pradeep

+25 — ग्रा 24

21.9.19
राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-6/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला-अमेठी

आवेदन सं॰: 201900912008379

न्यास पत्र

बही सं॰: 4 रजिस्ट्रेशन सं॰: 25 वर्ष: 2019

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 760 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 200

श्री प्रदीप कुमार मिश्रा ,
पुत्र श्री राजनाथ मिश्रा
व्यवसाय : कृषि
निवासी: ग्राम व पोस्ट थौरी परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला अमेठी

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 21/09/2019 एवं 03:34:22 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भानु प्रताप सिंह
उप निबंधक :मुसाफिरखाना
अमेठी
21/09/2019

अखिलेश कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

रजिस्ट्रार मुसाफिरखाना
सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124319

3. विद्यार्थियों एवं उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक विकास की ओर स्वस्थ और समालोचन मनोभाव को विकसित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें ।
4. विद्यार्थियों एवं उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के लिए छात्रावास स्थापित करना तथा उसे चलाना ।
5. न्यास की विषयवस्तु का इस प्रकार विनिधान, व्ययन अन्तरण या लेन–देन करना जैसा कि न्यासीकरण ठीक समझे ताकि न्यास के उद्देश्यों को प्रभावशाली रूप से कार्यन्वित कर सके ।
6. दान, अनुदान, उपहार तथा अन्य भेंटों को स्वीकार करना तथा उन्हें न्यास के प्रयोजनों के लिए व्यवहार में लाना ।
7. इस विलेख के अधीन संस्थापित एवं स्थापित किये जाने वाले संस्थाओं के संरक्षण और देख रेख में होने वाले व्यय तथा परिव्ययों की पूर्ति के लिए संयत शिक्षण शुल्क लेना ।
8. शिष्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित और सन्नद्व करना कि वे शिष्ट और सम्मान जीवन पथ अपनाने के लिए आत्मनिर्भर हो सके और अच्छे और स्वस्थ्य प्रगतिशील नागरिक बन सके ।

Pradeep

१२६ भाग ४ २५
१९

आवेदन सं०: 201900912008379

21.9.19
राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं० 5/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला–अमेठी

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 25 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, पुत्र श्री राजनाथ मिश्रा

निवासी: ग्राम व पोस्ट थौरी परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला अमेठी

व्यवसाय: कृषि

Pradeep

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री नागेश कुमार चौबे , पुत्र श्री राजेश कुमार चौबे

निवासी: ग्राम थौरी परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला अमेठी

नागेश कुमार चौबे

व्यवसाय: कृषि

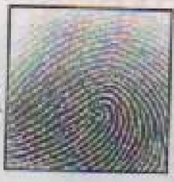
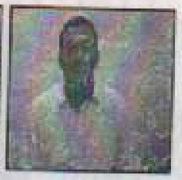

पहचानकर्ता : 2

श्री नीरज कुमार , पुत्र श्री जय प्रकाश

निवासी: ग्राम थौरी परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला अमेठी

Neeraj kumar

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

भानु प्रताप सिंह
उप निबंधक : मुसाफिरखाना
अमेठी

अखिलेश कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

उप निबंधक मुसाफिरखाना जिला अमेठी उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124320

9. ट्रस्ट को शिक्षण संस्थायें, शोध केन्द्र, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, प्रबन्धन कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, मदरसे का संचालन, आयुर्वेदिक कॉलेज, फार्मेसी संस्थायें, पैरामेडिकल कॉलेज, रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (I.T.I) पॉलीटेक्निक, स्नातक एवं परास्नातक, बी० एड०/बी० पी० एड०/डी० एल० एड० (बी० टी० सी) प्रशिक्षण व औद्योगिक शिक्षा आदि की स्थापना करना एवं अन्य उच्च समस्त प्रकार की शिक्षा संस्थायें आदि को संस्थान के नियमानुसार स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार होगा ।
10. ट्रस्ट को हास्पिटल, नर्सिंग होम, डिस्पेन्सरी क्लीनिक, डायग्नोस्टिक रिसर्च सेन्टर योग व आयुर्वेदिक सेन्टर आदि जो न्यास निर्णय ले स्थापित करने व संचालित करने का अधिकार होगा।
11. ट्रस्ट को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं विदेशी सरकार मिशन द्वारा स्वीकृत योजना में जनहित करने का अधिकार होगा ।
12. ट्रस्ट द्वारा सेमिनार, कान्फ्रेन्स प्रदर्शन आदि के द्वारा पीड़ित मरीजों को सहयोग एवं सलाह देना।
13. ट्रस्ट द्वारा ग्रामोद्योग की स्थापना कर (उ० प्र०) व भारत सरकार के सहयोग से संचालित करना।

Pradeep

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-6/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला–अमेठी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124321

14. ट्रस्ट द्वारा जनहित के कार्यों हेतु ऐसा कार्य करना जो ट्रस्टीगण निर्णय लें ।
15. ट्रस्ट को भारत सरकार, राज्य सरकार, सांसदों, विधायकों, स्थानीय निकायों आदि के निधियों से नव निर्माण सहयोग से विभिन्न संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार हागा ।
16. न्यासीकरण संस्था की अनुशंसा पर ऐसी वृत्तियों और छात्रवृत्तियों ऐवे निबन्धनों पर वे उचित समझें दे सकेगा जो कि न्यास की विषयवस्तु की आय के समानुपातिक हो ।
17. किसी न्यासी की मृत्यु/अक्षमता के कारण उसका उत्तराधिकारी न्यासी मण्डल में होने वाली रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा । यह व्यवस्था सदस्यों हेतु नहीं होगी ।
18. न्यास के प्रशासन में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का निर्णय तत्समय का कार्यकारी न्यासियों के बहुमत द्वारा किया जायेगा ।
19. न्यासीगण न्यास की विषयवस्तु के निकाय में से या उसके किसी भाग के विकय के आगाम में से ऐसी धनराशि जैसे कि न्यासियों द्वारा सर्वसम्मति से संकल्पित की जाए, भवन आदि के निर्माण में तथा अन्य पूंजीगत व्यय करने के लिए खर्च कर सकेगें ।
20. न्यास समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम व भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अधीन नियमित निकाय है। जो उसके नियमों और उपनियमों द्वारा अधिशासित होगा ।
21. न्यास न्यासियों के शुल्क अनुदान, उपहार, दान तथा अन्य धनराशियों का जो उसे प्राप्त होगी लेखा देगी और किसी स्त्रोत से प्राप्त होने वाली निधियों के बारे में न्यासियों के निर्देश का पालन करेगी ।

Pradeep

828 भा 24
19.

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-8/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला–अमेठी

राजस्व मुसाफिरखाना

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124322

22. जब तक न्यासकर्ता जीवित रहे और इस मामले में काम करने का योग्य रहे तब तक वह न्यासियों में एक न्यासी रहेगा और न्यासियों तथा न्यास की समस्त बैठकों का सभापतित्व करने का अधिकारी होगा उसका निर्णय मत भी होगा ।

23. ट्रस्ट के सम्पत्ति को कय करने एवं विकय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं संस्थाओं को देने और लेने अधिकार होगा । यह कि प्रबन्धक को यह अधिकार इस विलेख द्वारा प्रदत्त किया जाता है कि वह राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण एवं बैंक गारण्टी प्राप्त करने हेतु ट्रस्ट की वर्तमान व भविष्य में प्राप्त (Aquire) होने वाली सम्पत्ति को संयुक्त रूप से मूल विकय विलेख आदि बैंक में रखकर बन्धक (Mortgage) कर सकेंगे ।

24. ट्रस्ट को अपनी संस्थाओं को संचालित करने के लिए बैंको, वित्तीय संस्थाओं, स्थानीय निकायों अन्य संस्थाओं समितियों व्यक्तियों तथा प्राइवेट कम्पनियों से ऋण एवं बैंक गारण्टी लेने का अधिकार होगा कि पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, महिला शिक्षा, अनुसूचित जाति/जनजातियों की शिक्षा एवं दिव्यांगों की शिक्षा पाठ्यकमों हेतु राष्ट्रयकृत बैंक से ऋण, भवन निर्माण व अन्य उपकरण हेतु तथा बैंक गारण्टी आवश्यकतानुसार समय समय पर प्राप्त कर से मुख्य ट्रस्टी ऋण एवं बैंक गारण्टी आवश्यकतानुसार समय समय पर प्राप्त कर सकेंगे मुख्य ट्रस्टी ऋण एवं बैंक गारण्टी किसी भी राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त कर सकेंगे ।

Pradeep

128/19 बा 24

21.9.19

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-8/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला–अमेठी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124323

25. ट्रस्ट की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार अथवा आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों के 1/3 संख्या की मॉग पर किसी भी समय बैठक आहूत करने का अधिकार होगा ।
26. यदि कोई समिति (संस्था) ट्रस्ट में विलय होना चाहे तो ट्रस्ट को पूर्ण अधिकार होगा कि वह संस्था को अपने में विलय कर ले ।
27. न्यास के मुख्य न्यासी ही ट्रस्ट का प्रबन्धन करेंगे ।
28. न्यासी बोर्ड में पदाधिकारियों का चयन मुख्य न्यासी के द्वारा बहुमत से किया जायेगा ।
29. ट्रस्ट के राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण एवं बैंक गारण्टी प्राप्त करने पर बैंक के सिक्योरिटी दस्तावेज व अन्य दस्तावेजों पर ट्रस्ट के प्रबन्धक/ट्रस्टी सचिव संयुक्त या एकल रूप से हस्ताक्षर करेंगे।
30. ट्रस्ट की चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति ट्रस्टगणों के दान द्वारा ट्रस्ट के आजीवन सदस्यों व अन्य सदस्यों व समाज सेवियों द्वारा दान से प्राप्त (Aquire) होगी एव कय भी की जा सकती है व पट्टे पर भी ली जा सकती है ।
31. ट्रस्ट मानव समाज के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना जैसे कृषि कार्य करना शिक्षण संस्थान स्थापित करना । गौशाला आदि का संचालन करना ।
32. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं का नामकरण करके उसकी स्थापना करना एवं अलग–अलग शिक्षण संस्थाओं की अलग–अलग कमेटी गठित करके संचालित करना ।
33. मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट की किसी भी सम्पत्ति को किराये या लीज पर देवें तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी की सम्पत्ति को लीज पर लेवें ।

Pradeep

नं 30/19 बग 24

21-3-19

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-8/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला–अमेठी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124324

34. ट्रस्ट द्वारा मन्दबुद्वि, विकलांग/दिव्यांगों के लिए विद्यालय का संचालन करना ।
35. समाज के बौद्विक विकास के लिए पुस्तकायल एवं वाचनालय की स्थापना एवं संचालन करना ।
36. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा एवं कम्प्यूटर सूचना प्राद्योगिकी के क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा/कोचिंग प्रदान कर उन्हें विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित कराने हेतु उचित ज्ञान एवं मार्ग दर्शन देना ।
37. युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए समय–समय पर स्तरीय खेल कूद कार्यक्रमों का आयोजना करना तथा व्यायाम शाला, विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय, धर्माथ चिकित्सालय प्रयोग शाला आदि की स्थापना व संचालन करना ।
38. राष्ट्रीय भावना जागृत करने हेतु साहित्यिक व धार्मिक भावनाओं के उत्थान हेतु जनहित में पठन पाठन सामग्री पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन वितरण, सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक व शैक्षिक कार्यकमों का संचालन करना ।
39. महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरुद्व संगठित करना उन्हें परामर्श देना महिला कर्मचारियों के शोषण के विरुद्व जनआंदोलन करना । एवं कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यालय में उत्पीड़न के विरुद्व उचित वातावरण बनाना व केन्द्रों का संचालन करना तथा इन्हीं कार्यों के लिए समितियों का गठना करना ।

Pradeep

31/19 ला 24

21.9.19

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-6/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला-अमेठी

तहसीलदार मुसाफिरखाना जिला ... उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 882794

40. एड्स के नियंत्रण के लिए जनता में जागरूकता एड्स की जॉच एवं इसके रोगियों के लिए चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करना, इण्टरनेशनल एड्स वैक्सीन आदि की व्यवस्था करना तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना ।
41. कृषकों को प्रशिक्षण सुविधा एवं तात्कालिका समस्याओं के निराकरण हेतु आत्मनिर्भर बनाना ।
42. भूमि संरक्षण एवं भूमि उत्पादकता बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय करना एवं योजनाओं का संचालन करना ।
43. गौ सेवा की मान्यता के अनुसार कार्य करना असहाय एवं निर्बल अथवा बीमार पशुओं की देखभाल एवं समुचित चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था करना ।
44. दहेज प्रथा अन्ध विश्वास एवं सामाजिक कुरितियों को दूर करने का प्रयास करना ।
45. विश्व बैंक केन्द्र, राज्य सरकारों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्य सड़क निर्माण कार्य, सप्लाई कार्य, बागवानी कार्य, स्वच्छता व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का प्रचार प्रसार एवं संचालन करना ।
46. उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना ।
47. सामाजिक, आर्थिक, कृषि तकनीकी, पर्यावरण जनसंख्या आदि क्षेत्रों में अनुसंधान/सर्वे कार्य करना एवं सरकारी/गैर सरकारी/निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित अनुसंधान एवं सर्वे कार्यक्रमों का संचालन एवं कियान्वयन ।

Pradeep

132/89 क्रम 24

21.9.13

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-8/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला–अमेठी

रजिस्ट्रार मुसाफिरखाना

संलग्न

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124325

48. प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना तथा इससे सम्बन्धित योजना के अर्न्तगत आने वाले सभी सामाजिक कार्यों का संचालन करना ।
49. अस्वस्थ वातारण में रहने वाले निराश्रित बच्चों के पूर्नवास एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना तथा बाल रंग पंच का आयोजना करना ।
50. रोजगार उपलब्ध कराने व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास कार्यकमों का आयोजन एवं संचालन करना ।
51. सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व के स्थलों को पर्यटन केन्द्रों में परिवर्तित करना ।

<u>ट्रस्ट धन का विनियोग</u> :—

1. ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विधान के अनुसार किया जायेगा ।
2. उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना, सहायता लेना व देना व ब्याज सहित ऋण लेना व देना । जायदाद खरीदना व बेचना, निर्माण करना, रेहन करना लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार व अन्य जो भी आवश्यक कार्य हो उन्हें करना ।
3. ट्रस्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश विदेश से दान व चन्दा, कय विकय एवं विनिमय पट्टा किराये पर या अन्य किसी प्रकार के भूखण्ड, भवन या कोई चल व अचल सम्पत्ति कय करना या उससे व्यवसाय करना, विकय प्रबन्धन हस्तान्तरण दृष्टि बन्धक किसी भी भांति निपटाना या किसी भी प्रकार से उपयोग में लेना ।

Pradeep

233/10 क्रम 24

21.9.19

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-8/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला-अमेठी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124326

ट्रस्ट मण्डल :–

1. ट्रस्ट की स्थाई एवं अस्थाई सदस्यों की नियुक्ति प्रबन्धक द्वारा ही की जा सकेगी । प्रबन्धक / मुख्य न्यासी जीवन पर्यन्त पद पर रहेंगे । उसके मृत्यु के बाद उनके वारिस ही मुख्य न्यासी रहेंगे ।
2. स्थायी न्यासियों में से किसी का स्थान रिक्त होने पर उनके स्थान पर पुनः नियुक्ति स्थायी न्यासियों में से ही की जा सकेगी । किसी भी स्थायी सदस्यों को हटाने का सर्वोच्च निर्णय मुख्य प्रबन्धक ट्रस्टी को होगा ।
3. प्रबन्धक / मुख्य ट्रस्टी के वंशज के अलावा अन्य कोई व्यक्ति ट्रस्ट का स्थायी सदस्य आदि नहीं होगा।
4. ट्रस्ट के उद्दश्यों की पूर्ति के लिए किसी सरकारी, गैर सरकारी अथवा वित्तीय संस्थान की सहायता ऋण लेने की दशा में ट्रस्ट के प्रबन्धक अथवा वह जिसको नामित करें वह ट्रस्टी सचिव के साथ संयुक्त रूप से समस्त दस्तावेजों का निष्पादन कर सकेगा ।
5. ट्रस्ट के मण्डल में कोई भी पद किसी भी कारण से रिक्त होता है तो वह प्रबन्धक व उसके द्वारा नामित व्यक्ति से ही भरा जायेगा ।
6. ट्रस्ट मण्डल के मध्य निर्णय या किसी विवाद की स्थिति में प्रबन्धक द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जा सकता है जो अन्तिम व सर्वमान्य होगा ।

Pradeep

बी 34 / 17   आ 24

21.9.19

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-8/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला-अमेठी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124327

7. ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिये गये सभी निर्णय एवं कार्यों का कियान्वन ट्रस्ट के ट्रस्टी सचिव के द्वारा ही किया जायेगा ।
8. किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी को एक अतिरिक्त मत देने का विशेषाधिकार होगा। अस्थायी ट्रस्टियों की भूमिका मात्र परामर्श देने की रहेगी तथा उन्हें मतदान का अधिकार नही होगा ।
9. ट्रस्ट के विधिक कार्यों की देख रेख के लिए विधि विशेषज्ञ नियुक्त रहेगा ।
10. ट्रस्ट के प्रबन्धक, संरक्षक, सचिव का कार्यकाल आजीवन होगा और उसके मरणोपरान्त उसके विधिक उत्तराधिकारी की ही नियुक्ति रहेगी ।
11. प्रबन्धक/मुख्य ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के किसी सदस्य की नियुक्ति अपने लिखित पत्र के अनुसार कर सकता है इसी प्रकार किसी सदस्य को अपने लिखित पत्र के माध्यम से जब चाहे हटा सकता है । जिसके लिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा ।
12. निम्नलिखित परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर ट्रस्टी का पद रिक्त माना जायेगा :–
    - अ. त्याग पत्र देने एवं प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत किये जाने पर ।
    - ब. नैतिक पतन से सम्बद्व अपराध में सजा हो जाने पर ।
    - स. मन एवं बुद्वि अथवा शारीरिक रूप से अक्षम हो जाने पर ।
    - द. दिवालिया घोषित होने पर ।
    - य. मृत्यु हो जाने पर ।

Pradeep

135 / 19 क्रम 24

21.9.19

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-8/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला–अमेठी

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124328

ट्रस्ट के निम्नलिखित स्थायी सदस्यों एवं पदाधिकारीगण व ट्रस्ट मण्डल होंगें :–

क0–	नाम व पिता/पति का नाम	पता	पद
1.	प्रदीप कुमार मिश्रा पुत्र राजनाथ मिश्रा	निवासी ग्राम व पोस्ट थौरी परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।	मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी/प्रबन्धक/अध्यक्ष
2.	श्रीमती कोमल पत्नी प्रदीप कुमार मिश्रा	निवासी ग्राम व पोस्ट थौरी परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।	सचिव/कोषाध्यक्ष
3.	अमरीश कुमार पुत्र राजनाथ मिश्रा	निवासी ग्राम व पोस्ट थौरी परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।	उपप्रबन्धक
4.	राजनाथ मिश्रा पुत्र उदयराज मिश्रा	निवासी ग्राम व पोस्ट थौरी परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।	संरक्षक

Pradeep

136/19 बा 24

21-5-19

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-6/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला-अमेठी

उप निबन्धक मुसाफिरखाना
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124329

प्रबन्धक/अध्यक्ष/मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :—

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी कर्मचारी/सदस्य मैनेजमेन्ट कमेटी की वैतनिक, अवैतनिक नियुक्ति/पदच्युत करना ।
2. ट्रस्ट की नीतियों का निर्धारण करना ।
3. ट्रस्ट की वार्षिक बजट की स्वीकृति देना ।
4. लेखा पुस्तकों, आय–व्यय खाता, चिट्ठा एवं ऑडिटर की रिपोर्ट विचार व स्वीकृति देना अगले साल के लिए ऑडिटर की नियुक्ति करना ।
5. ट्रस्ट के उददश्यों की पूर्ति के लिए ऋण लेना, रेहन रखना, पट्टा लेना–देना, चल अचल सम्पत्तियों को क्रय विक्रय एवं निर्माण आदि करना या करवाना ।
6. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश विदेश से सहायता लेना व देना ।
7. ट्रस्ट की बैठकें आयोजित करना या कराना एवं उसकी अध्यक्षता करना ।
8. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को ट्रस्ट का सदस्य बनाना ।
9. ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिए किये गये सभी प्रकार के व्यय को ट्रस्ट से प्राप्त करने का अधिकार होगा ।
10. ट्रस्ट के उददश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार सरकारी या गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना या कराना ।

Pradeep

137/19 बी 24

21.9.19

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-8/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला–अमेठी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124330

11. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों का नामकरण करके उसकी स्थापना करना एवं अलग–अलग शिक्षण संस्थाओं की अलग–अलग कमेटी गठित करके संचालित करना । मुख्य ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप न कार्य करने की दशा में उक्त कमेटी को भंग कर सकता है ।
12. ट्रस्ट के पक्ष में ये अपने हस्ताक्षर से ट्रस्ट हित में जमीन खरीदना, विक्रय करना, बन्धक रखना, बैंक से सी0 सी0 आदि बनवाना डिपाजिट करना ।
13. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना ।
14. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना ।
15. संस्था के कार्यों की देखभाल करना एवं उसके लिए आवश्यक निर्देश देना ।
16. ट्रस्ट अपने कार्य के कियान्वयन के लिए समिति का गठन करेगा । समिति ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगी । पूर्ण अधिकार ट्रस्ट का होगा ।

उपप्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य :—

1. उपप्रबन्धक के सभी कार्य प्रबन्धक / अध्यक्ष / मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी के निर्देशों का पालन करना है।

संरक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य :—

1. प्रबन्धक के परामर्श से ट्रस्ट मण्डल की बैठक आयोजित करना ।
2. ट्रस्ट के उद्दश्यों की पूर्ति के लिए पत्र व्यवहार करना ।

Pradeep

-1 30
10

श्रा 24

21.9.19

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-8/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला–अमेठी

... मुसाफिरखाना ...
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124331

3. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।
4. लेखा पुस्तकों को तैयार करना व कराना ।
5. ट्रस्ट की सभी गतिविधियों से ट्रस्ट मण्डल को अवगत कराना ।
6. ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए धन संग्रह करना ।
7. ट्रस्ट के उद्दश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार सरकारी गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना ।
8. ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी प्रकार के कानूनी मामलों को प्रबन्धक के निर्देशोंनुसार स्थायी नियुक्ति उपरोक्त विधि से विशेषज्ञ को देखने एवं निस्तारण कराने के लिए निर्देशित करना ।
9. प्रबन्धक / अध्यक्ष / मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी के द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यों की देख रेख करना व समय–समय पर अपना मार्गदर्शन देना तथा सही दिशा निर्देश करना ।
10. प्रबन्धक / अध्यक्ष / मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी से ट्रस्ट के हित में सवाल जवाब करना ।

<u>सचिव / कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–</u>

1. ट्रस्ट के द्वारा अर्जित किये गये आय व्यय का हिसाब किताब रखना ।
2. लेखा पुस्तकों को ऑडित कराना एवं ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना ।
3. वार्षिक बजट तैयार करके ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना एवं प्रबन्धक से स्वीकृति कराना।

Pradeep

4 31
―――
17

का 24

21.9.17

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-8/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला–अमेठी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124332

4. ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए धन संग्रह करना ।
5. ट्रस्ट मण्डल की सभी बैठकों में उपस्थित रहना ।
6. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना ।
7. अन्य सभी कार्य जो प्रबन्धक द्वारा सौंपे जावे ।

<u>ट्रस्ट बैंक खातों का रख रखाव</u> :—

1. ट्रस्ट के सभी प्रकार के कोषों एवं बैंक खातों का संचालन प्रबन्धक के हस्ताक्षर के द्वारा ही किया जायेगा।
2. ट्रस्ट का खाता किसी भी सरकारी बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक तथा रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न बैंकों में खोला जायेगा ।

<u>ट्रस्ट की बैठक</u> :—

1. वर्ष में कम से कम एक बार ट्रस्ट की बैठक अवश्यक बुलाई जाये । इसके लिए सदस्यों को क्रम से कम एक सप्ताह पहले सूचना देनी होगी ।
2. आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्धक द्वारा 24 घंटे की सूचना पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है ।

<u>वित्तीय वर्ष</u> :–

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होकर प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा ।

Pradeep

21.9.21

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-8/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला–अमेठी

सब रजिस्ट्रार मुसाफिरखाना
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124333

घोषणा पत्र में संशोधन :—

1. ट्रस्ट के उद्दश्यों की पूर्ति के लिए उपरोक्त घोषणा पत्र में समय–समय पर संशोधन/परिवर्तन, परिवर्धन, प्रबन्ध ट्रस्टी की सहमति द्वारा किया जा सकता है ।

मैं एतद्द्वारा साक्षीगणों की उपस्थिति में नीचे अपने हस्ताक्षर कर इस ट्रस्ट के घोषणा पत्र का निष्पादन करता हूँ ।

न्यासीगण (ट्रस्टीगण) की स्वीकृति :—

यह कि उपरोक्त प्रदीप कुमार मिश्रा पुत्र राजनाथ मिश्रा निवासी ग्राम व पोस्ट थौरी परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जनपद अमेठी 227815 (उ0 प्र0) के न्यासीगण न्यास संविधान नियमावली के अनुसार कार्य करने के हेतु वचनबद्व है एवं बिना बाहरी दबाव के स्वस्थ मन की स्थिति से आज दिनांक– 21.09.2019 द्वारा न्यासीगण बनना स्वीकार करते है । अतः न्यास बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय हो ।

Pradeep

241/17 क्र 24

21.2.19

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-8/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला-अमेठी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AD 124334

अतः मुझे प्रथम न्यासी/प्रबन्धक/अध्यक्ष/मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी द्वारा इस न्यास पत्रक को दिनांक– 21.09.2019 को निष्पादित किया गया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवें।

ह0 प्रथम न्यासी/मुख्य प्रबन्धक/अध्यक्ष ट्रस्टी

Pradeep

31-03-2020

2007 अमेठी

पवन कुमार त्रिपाठी

मसविदाकर्ता–
पवन श्रीवास्तव
दस्तावेज लेखक
मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

टाइपकर्ता–
विपिन कुमार शुक्ल
टाइपिस्ट
मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

तारीखतहरीर–21/09/2019ई0

Pradeep

7452 / 19 क्रा 24

21-9-19

राजेन्द्र कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०-8/M/2001
तह० मुसाफिरखाना, जिला–अमेठी

आवेदन सं०: 201900912008379

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 18 के पृष्ठ 159 से 196 तक क्रमांक 25 पर दिनाँक 21/09/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भानु प्रताप सिंह
उप निबंधक : मुसाफिरखाना
अमेठी
21/09/2019

उप रजिस्ट्रार मुसाफिरखाना जिला अमेठी उत्तर प्रदेश

प्रिंट करें